राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 185/2013

संजय कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता (प्रशासन) एवं तकनीकी सदस्य, राजस्थान, जलप्रदानय सिवरेज प्रबन्धक मण्डल, जन स्वा. अभि. विभाग, जन भवन जैकब रोड़, 2–सिविल लाईन्स, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जैकब रोड़, 2–सिविल लाईन्स, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत चूरू, राजस्थान।
4. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व उप खण्ड, चूरू।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.आर. चौधरी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी ने वर्ष 1981 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात वर्ष 1983 में अपीलार्थी ने हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दैनिक श्रमिक के रूप में सहायक अभियंता कार्यालय, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड, चूरू में दिनांक 01.01.1981 को हुई थी। अपीलार्थी की सेवा की दिनांक 01.04.1985 को दो वर्ष दैनिक श्रमिक के रूप में पूर्ण किये जाने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.01.1986 के द्वारा दिनांक 04.1.1985 से कार्य प्रभारित सहायक द्वितीय की वेतन श्रृंखला में पदस्थापित किया गया। इस प्रकार दिनांक 01.04.1985 से अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.1985 से 31.03.1991 तक कार्यरत सहायकों की स्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 30.12.1996 जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–3 पर दर्ज था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2006 को कार्यप्रभारित कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु कार्यालय आदेश जारी किया गया, जिसमें भी अपीलार्थी को दिनांक

01.01.1983 से अर्द्धस्थायी माना गया। प्रत्यर्थी विभाग ने स्टोर मूंशी के पद पर अर्द्धस्थायी किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था, जिस स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच किये जाने के पश्चात अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद पर दिनांक 01.04.1985 से अर्द्धस्थायी माना गया। प्रत्यर्थी विभाग ने बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.2013 के द्वारा अपीलार्थी को स्टोर मूंशी के पद से पदावनत कर सहायक के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश पारित किये, जो उचित नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी स्टोर मुंशी के पद पर कार्य करने के लिये समस्त योग्यता धारित करता था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि स्टोर मुंशी के पद पर 10वीं पास की योग्यता आवश्यक थी, जिसे अपीलार्थी ने वर्ष 1981 में ही पूर्ण कर ली थी और अपीलार्थी को दो वर्ष बाद ही अर्द्धस्थायी घोषित किया गया था। अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद पर दिनांक 16.01.2007 को कार्य ग्रहण किया था और जिस पद पर कार्य करने के लिये अपीलार्थी पूर्ण योग्यता रखता था। अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद से पदावनत कर पुनः सहायक के पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश विधि विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.2013 (अनुलग्नक–8) को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी की विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.01.1981 को दैनिक श्रमिक के रूप में हुई है, परन्तु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा वर्ष 1981 में आयोजित सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में सम्मलित होकर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा फाईन आर्ट सप्लीमेन्ट्री से दिनांक 11.10.1981 को अपीलार्थी द्वारा उर्तीण की गयी, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति के समय दसवीं कक्षा उर्तीण नहीं थे। शैक्षणिक योग्यता को आधार मानकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2013 पृष्ठांकन दिनांक 27.02.2013 द्वारा अपीलार्थी को स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा नियुक्ति के समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने के कारण अपात्र पाये जाने पर पदावनत किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित समय पर अर्जित न करने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

3. हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दैनिक श्रमिक के पद पर दिनांक 01.01.1981 को हुई थी। उस समय 10वीं पास की योग्यता रखना आवश्यक नहीं था। अपीलार्थी ने

दसवीं की परीक्षा सितम्बर, 1981 में पूरी कर ली थी। अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1985 से 2 वर्ष दैनिक श्रमिक के रूप में सेवा पुरी करने पर सहायक द्वितीय की वेतन श्रृंखला में अर्द्धस्थायी किया गया। तब तक अपीलार्थी ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। प्रत्यर्थी विभाग ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने दैनिक श्रमिक के रूप में जब कार्य प्रारम्भ किया था तब वह स्टोर मुंशी के पद के लिये योग्यता नहीं रखता था। हमारे मत में अपीलार्थी अर्द्धस्थायी घोषित होने के पूर्व ही 10वीं पास की योग्यता प्राप्त कर ली थी। ऐसे में अपीलार्थी को जब अर्द्धस्थायी घोषित किया गया था तब अपीलार्थी स्टोर मुंशी के पद की योग्यता रखता था। इस प्रकार अपीलार्थी को पदावनत किया जाना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 27.02.2013 (अनुलग्नक–8) अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद पर यथावत रखा जाए। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए। इस आदेश की पालना 2 माह में सुनिश्चित की जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)